क्रम संख्या–34 (ख) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 12 मई, 2026 ई0

बैशाख 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1

संख्या– 395047/XXIV–B–1/26–32(04)/2025

देहरादून, 12 मई, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–05

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **'उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025'** में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

'उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026'

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026' है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 8 का संशोधन	2.	'उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025' में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएं :– 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध आर0सी0आई0, सी0आर0आर0 संख्या आवंटित हो से विशेष शिक्षा में बी0एड0 की उपाधि। 2. समावेशी शिक्षा में कॉस विकलांगता क्षेत्र में छः माह का डिप्लोमा/ प्रशिक्षण। 3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। 4. अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति/चयन हेतु यू0टी0ई0टी0–2/सी0टी0ई0टी0–2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएं :– 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि। 2. भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विशेष शिक्षा में बी0एड0 की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा आबंटित वैध आर0सी0आई0, सी0आर0आर0 संख्या। **अथवा** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0एड0 एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 विशेष शिक्षा के समकक्ष सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा आबंटित वैध आर0सी0आई0, सी0आर0आर0 संख्या। 3. समावेशी शिक्षा में क्रॉस दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण : परन्तु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा क्रास दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के उपरान्त भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा उक्त प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जाने के दिनांक से 02 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। 4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। 5. अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति/ चयन हेतु यू0टी0ई0टी0–2/सी0टी0ई0टी0–2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **395047/**XXIV-B-1**/2026-32(04)/2025,** Dehradun dated May 12, 2026, for general information.

No. 395047(I)/XXIV-B-1/2026-32(04)/2025
Dated Dehradun, May 12, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend The Uttarakhand Special Education Teacher Service Rules, 2025:-

The Uttarakhand Special Education Teacher Service (Amendment) Rules, 2025

Short title and Commencement	**1.**	(1) These Rules may be called The Uttarakhand Special Education Teacher Service (Amendment) Rules, 2025. (2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 8	**2.**	In 'The Uttarakhand Special Education Teacher Service Rules, 2025', for the existing rule 8 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
8. For appointment to various posts in the service, the candidate must possess the following qualifications: - 1. A degree of B.Ed. in Special Education from any University or Institution established by law in India, recognized by the Rehabilitation Council of India and which has been allotted a valid RCI, CRR number. 2. A six-month diploma/training in the field of cross disability under inclusive education. 3. The training course must be recognized by the National Council for Teacher Education/Rehabilitation Council of India.	**8.** For appointment to various posts in the service, the candidate must possess the following qualifications: - 1. Graduation from any University or Institution established by law in India. 2. B.Ed. degree in Special Education from a University or Institution established by law in India, recognized by the Rehabilitation Council of India with valid RCI, CRR number allotted by the Rehabilitation Council of India. or B.Ed. from a University/Institute established by law in India and certificate/diploma equivalent to B.Ed. Special Education from an Institute recognized by the Rehabilitation Council

4. Candidates for appointment/selection to the post of Special Education Teacher must have passed the UTET-2/CTET-2 examination.	of India along with a valid RCI/CRR number allotted by the Rehabilitation Council of India. 3. 06 months teaching training in cross disability under inclusive education: Provided that in case the six months teaching training in cross disability area is not available by the Rehabilitation Council of India, the above qualification shall be relaxed with the condition that the said training will be completed by the concerned candidate after appointment within 02 years from the date of commencement of the said training by the Rehabilitation Council of India. 4. The training course must be recognized by the National Council for Teacher Education/ Rehabilitation Council of India. 5. It will be mandatory for the candidate to pass the UTET-2/CTET-2 examination for appointment/selection to the post of Special Education Teacher.

By Order,

RAVINATH RAMAN,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 / शिक्षा / 174–2026–100+500 प्रतिया (कम्प्यूटर / रीजियो)।